(91)

न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर संभाग जबलपुर (म0प्र0)

ज्ञापन

FAX/E-MAIL

क्रमांक 36 रीडर / अति0कमि0.–2017 / जबलपुर, दिनांक 16-2-2017

RB 698-I-17

प्रति,

अध्यक्ष
मान्नीय राजस्व मण्डल
म0प्र0 ग्वालियर

विषय ::- म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में निहित प्रावधानों के तहत पुर्नविलोकन की अनुमति प्रदान करने विषयक।

-0-

आवेदक विनोद पिता अमर चंद एव अन्य निवासी ग्राम कान्हीवाडा तहसील एव जिला सिवनी द्वारा इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 681/B-121/2011-12में पारित आदेश दिनांक **14/01/2016** से परिवेदित होकर मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के तहत पुनर्विलोकन इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि -

1- माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अनुविभागीय अधिकारी सिवनी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन संहिता की धारा 115,116 में वाद ग्रस्त भूमियों पर अमर चंद पिता दीपचंद का नाम प्रबंधक के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है । आवेदकों की भमि पर जो धर्मशाला शब्द अंकित है उसे अलग किया जाए। राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में भी यह तथ्य स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमियों पर कभी कोई धर्मशाला का अस्तित्व नहीं पाया गया और प्रश्नाधीन भूमि कृषि प्रयोजन एवं उससे संबंधित उपकरणों के रख-रखाव के लिए की जा रही है।

2- श्रीमान महोदय द्वारा अपने निर्णय मे इस बात का उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थीगण द्वारा जो आवेदक संहिता की धारा 115,116 मे तहत प्रस्तुत किया गया था वह अपीलार्थीगण के प्रकरण में लागू नहीं होता है जबकि संहिता की धारा 115,116 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि यदि राजस्व अभिलेख के खसरा में यदि गलत अंकन किया गया है तो उपरोक्त धारा में आवेदन प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

आवेदक द्वारा संहिता की धारा 51 के तहत प्रस्तुत आवेदन के साथ जिला सिवनी में पंजीकृत ट्रस्ट एवं धर्मशाला की सूची जो उसके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त की गई है प्रस्तुत की गई है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है है कि धर्मशाला प्रबंधक दीपचंद साहू कान्हीबाडा के नाम से धर्मशाला रजिस्टर्ड होने का कोई उल्लेख नहीं पाया गया ।

संहिता की धारा 51 (1) में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त, कलेक्टर या बंदोबस्त अधिकारी किसी ऐसे आदेश का जो कि उसने स्वयं पारित न किया हो, पुनर्विलोकन करना आवश्यक समझता है तो वह पहले मण्डल की मंजूरी अभिप्राप्त करेगा।

प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण में पारित आदेश पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित किया गया है । अतः आवेदिका द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्यों के अधार पर प्रकरण पुर्नविलोकन योग्य पाया जाने के कारण प्रकरण के पुर्नविलोकन की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

(के0पी0राही)
अपर आयुक्त
जबलपुर संभाग

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यू 698–एक/2017 जिला जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07–6–2017	आवेदक शासकीय पैनल अभिभाषक श्री बी0एन0 त्यागी उपस्थित। अनावेदक अभिभाषक श्री के0के0 द्विवेदी ने उपस्थित। दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकों को पुनर्विलोकन अनुमति पर तर्क सुने। 2/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदकगण द्वारा अपर आयुक्त के प्रकरण कमांक 681/ब–121/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 14–1–2016 से परिवेदित होकर अपर आयुक्त के समक्ष पुनर्विलोकन आवेदन पेश किया जिसपर अपर आयुक्त ने इस न्यायालय में पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। अपर आयुक्त के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रकरण कमांक 1321/बी–121/09–10 प्रस्तुत किया गया जिसमें अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 21–4–11 के द्वारा अस्वीकार की गई जिसे विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अपर कलेक्टर ने भी अपने आदेश दिनांक 8–7–2011 से निरस्त की है। अपर आयुक्त ने तहसील न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर तीनों न्यायालयों के आदेश को स्थिर रखते हुये अपील अस्वीकार की गई। अतः चारों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं।	

3/ जहां तक अपर आयुक्त के प्रश्नाधीन आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त के समक्ष अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत अपील को अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 14–01–2016 के द्वारा इस आधार पर निरस्त किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण संहिता की धारा 115–116 के अधीन नहीं आता है इसलिए यदि अनावेदक उक्त प्रविष्टियों से व्यथित था तो उसे विधिवत नामांतरण की कार्यवाही के लिए आना था। अवसर दिया था, परन्तु उनके द्वारा मूल विकय पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सकता कि भूमि का कय किन परिस्थितियों एवं किन उद्धेश्यों हेतु किया गया था। कय था या दान था, यह भी पता नहीं चलता। अतः ऐसी स्थिति में नामांतरण के रूप में भी इस प्रकरण को बिना दस्तावेज के मान्य नहीं किया जा सकता। अपर आयुक्त ने अपील में पारित आदेश में वैधानिक आधारों पर निष्कर्ष निकाले हैं। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है जिससे उसे पुर्नविलोकन में लिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अपर आयुक्त द्वारा अपने पुनर्विलोकन हेतु प्रस्तुत पत्र में ऐसे कोई आधार अथवा अवैधानिकता प्रकट नहीं की है जिसके कारण अपर आयुक्त के आदेश का पुनर्विलोकन दिया जाना न्यायोचित प्रतीत हो। अनावेदकगण, चाहे तो अपर आयुक्त के आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। अपर आयुक्त के आदेश में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होने से पुनर्विलोकन आवेदन अमान्य किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापस भेजे जायें। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य